

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-5(ए)/2/2017/ई/चार,  
प्रति

भोपाल, दिनांक 9/8/2017


श्री सुभाष श्रीवास्तव  
लेखाधिकारी  
कार्यालय महानिदेशक जेल  
भोपाल (म.प्र.)।

**विषय:-** एक पक्षीय कार्यमुक्त करने बाबत।

**संदर्भ:-** वित्त विभाग का आदेश क्रमांक एफ-5(ए)/2/2017/ई/चार, दिनांक 4.7.2017

-----0-----

संदर्भित आदेश द्वारा आपको लेखाधिकारी कार्यालय महानिदेशक जेल भोपाल से सहायक संचालक, संचालनालय कोष एवं लेखा भोपाल के पद पर पदस्थ किया गया है। अतः आपको उक्त आदेश के पालन में दिनांक 9.8.2017 अपरान्ह से एकपक्षीय कार्यमुक्त किया जाता है। तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर पालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

  
( वित्तिय कर्मान )


अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग  
भोपाल, दिनांक 9.8.2017

पृ.क्रं. एफ-5(ए)/2/2017/ई/चार,  
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग, मंत्रालय.
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के निज सचिव.
3. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल,
4. महानिदेशक, जेल, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-5(ए)/2/2017/ई/चार,  
प्रति

भोपाल, दिनांक 9/08/2017


श्री मुकेश नरते  
लेखाधिकारी,  
एम.पी.आर.आर.डी.ए.डिण्डौरी (म.प्र.)।

विषय:- एक पक्षीय कार्यमुक्त करने बाबत।

संदर्भ:- वित्त विभाग का आदेश क्रमांक एफ-5(ए)/2/2017/ई/चार, दिनांक 10.7.2017

-----0-----


संदर्भित आदेश द्वारा आपको लेखाधिकारी एम.पी.आर.आर.डी.ए.डिण्डौरी से सहायक संचालक, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा जवलपुर के पद पर पदस्थ किया गया है। अतः आपको उक्त आदेश के पालन में दिनांक 9.8.2017 अपरान्ह से एकपक्षीय कार्यमुक्त किया जाता है। तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर पालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

  
( विजय/कटाने )  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग  
भोपाल, दिनांक 9.8.2017

पृ.क्रं. एफ-5(ए)/2/2017/ई/चार,  
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय,
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के निज सचिव,
3. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश शासन,
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम.पी.आर.आर.डी.ए.डिण्डौरी,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-5(ए)/2/2017/ई/चार,  
प्रति

भोपाल, दिनांक 9/08/2017


श्री आनन्द पटले  
लेखाधिकारी,  
मुख्य अभियंता वि.या.जल संसाधन  
भोपाल (म.प्र.)।

विषय:- एक पक्षीय कार्यमुक्त करने बाबत।

संदर्भ:- वित्त विभाग का आदेश क्रमांक एफ-5(ए)/2/2017/ई/चार, दिनांक 10.7.2017

-----0-----


संदर्भित आदेश द्वारा आपको लेखाधिकारी मुख्य अभियंता वि.या.जल संसाधन भोपाल से जिला पेंशन अधिकारी सिंगरोली के पद पर पदस्थ किया गया है। अतः आपको उक्त आदेश के पालन में दिनांक 9.8.2017 अपरान्ह से एकपक्षीय कार्यमुक्त किया जाता है। तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर पालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

  
( विजय क. धानु )  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग  
भोपाल, दिनांक 9.8.2017

पृ.क्रं. एफ-5(ए)/2/2017/ई/चार,  
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय,
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के निज सचिव,
3. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल,
4. मुख्य अभियंता, वि.या.जल संसाधन भोपाल,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-5(ए)/2/2017/ई/चार,  
प्रति

भोपाल, दिनांक 9/8/2017


श्री शैलेन्द्र कुमार शुक्ला  
सहायक संचालक  
संचालनालय होम गार्ड  
जबलपुर (म.प्र.)।

विषय:- एक पक्षीय कार्यमुक्त करने बाबत।

संदर्भ:- वित्त विभाग का आदेश क्रमांक एफ-5(ए)/2/2017/ई/चार, दिनांक 15.6.2017

-----0-----

संदर्भित आदेश द्वारा आपको सहायक संचालक, संचालनालय होम गार्ड जबलपुर से जिला पेंशन अधिकारी बालाघाट के पद पर पदस्थ किया गया है। अतः आपको उक्त आदेश के पालन में दिनांक 9.8.2017 अपराह्न से एकपक्षीय कार्यमुक्त किया जाता है। तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर पालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।


  
( विजय कटाने )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग  
भोपाल, दिनांक 9.8.2017

पृ.क्रं. एफ-5(ए)/2/2017/ई/चार,  
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय,
  2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के निज सचिव,
  3. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल,
  4. संचालनालय, होम गार्ड, जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग